न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 104/2017

01. तुलसी पुत्र नत्थी जाति माली निवासी कस्बा कामां तहसील कामां।

.....मृतक

1/1–भगवानदेई पत्नि स्व0 तुलसी।
1/2–प्रेमचन्द पुत्र स्व0 तुलसी।
1/3–दशरथ पुत्र स्व0 तुलसी जातियान माली निवासीयान दिल्ली दरवाजा कामां।
1/4–चमेली पुत्री स्व0 तुलसी पत्नि रामकिशोर जाति माली निवासी कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राज0।
1/5–सुशीला पुत्री स्व0 तुलसी पत्नि मोहन जाति माली निवासी ग्राम सौंकर तहसील खेडली जिला अलवर राजस्थान।
1/6–भूदेई पुत्री स्व0 तुलसी पत्नि राजेन्द्र जाति माली निवासी ग्राम सौंकर तहसील खेडली जिला अलवर राजस्थान।
1/7–राजो पुत्री स्व0 तुलसी पत्नि पप्पू जाति माली निवासी ग्राम सिकराबा तहसील छाता जिला मथुरा यू0पी0।
2–हुकम पुत्र नत्थी।
3–रमेश पुत्र नत्थी जातियान माली निवासीयान कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1–बाबूलाल पुत्र हीरालाल।
2–किशनलाल पुत्र हीरालाल।
3–भोंदू पुत्र हीरालाल जातियान माली निवासीयान कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर राजस्थान।
4–प्रेम पुत्री हीरालाल पत्नी अमरसिंह जाति माली निवासी कस्बा कामां तहसील कामां हाल आबाद कच्चा कुण्डा, भरतपुर तहसील भरतपुर राजस्थान।

.....असल प्रतिवादीगण

5–तहसीलदार कामां कार्यालय तहसील कामां भरतपुर राजस्थान।

.....फौरमल प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता :–
01. श्री बृजलाल शर्मा, वादीगण अधिवक्ता।
02. श्री नरेन्द्र शर्मा, प्रतिवादीगण अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 03.01.2025

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 3381/0.33, 3406/0.28, 3407/0.16, 3940/0.11 किता–4 रकबा 0.88 हैक्टेयर वाके कस्बा कामां नं0 02 में स्थित है। आराजी मुतदाविया पूर्व में वादीगण के बाबा मेडू की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर वादीगण का बाबा मेडू अपने जीवनकाल तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करता रहा। वादीगण के बाबा का स्वर्गवास दिनांक 04.02.1973 में हो गया। उसके पश्चात से वादीगण के पिता नत्थी व हीरालाल वाहिस्सा बराबर वाहैसियत वारिसान के रूप में काबिज रहकर आराजी मुतदाविया पर काश्त करते चले आ रहे हैं और इस वक्त भी आराजी के निस्फ हिस्से पर वादीगण का कब्जा व काश्त है। आराजी मुतदाविया का नामान्तरकरण पटवारी हल्का से साज करके व किशनलाल प्रतिवादी नम्बर 02 द्वारा झूठा शपथ पत्र पेश करके गलत सजरा अंकित करते हुए प्रतिवादीगण ने अपने नाम इन्तकाल नम्बर 4532 से सालिम आराजी का इन्द्राज दर्ज करा लिया जो कानूनन गलत है। पटवारी हल्का को वादीगण के नाम भी नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए था। आराजी मुतदाविया के बाबत् जो नामान्तरकरण अंकित किया है वह कतई गलत व खिलाफ कानून है जिसे

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

वादीगण अवैध घोषित कराकर अपने आप को आराजी मुतदाविया के निस्फ हिस्सा पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हुए इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ती आ गई है और आराजी मुतदाविया को दीगर व्यक्तियों को रहन व मुन्तकिल करने की फिराक में हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 15.10.2014 को ऐलानिया धमकी दी है कि वादीगण को आराजी मुतदाविया पर काश्त नहीं करने देंगे व जबरदस्ती लठ् व ताकत के बल पर बेदखल करके रहेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपरमित क्षति पहुंचेगी जिसकी पूर्ति किसी भी धनराशि से नहीं हो सकेगी। विधिवजह वादीगण दावीदार हैं और वे प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं। वादीगण आराजी मुतदाविया के निस्फ हिस्से पर वाहैसियत वारिसान काबिज रहकर बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं और इस वक्त भी मौके पर काबिज हैं। वादीगण अपने आपको निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। उक्त पत्रावली के राजस्व अपील अधिकारी महोदय, भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.05.2017 के निर्णयानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। दिनांक 13.12.2017 को बाबजूद तलवी प्रतिवादी नम्बर 01 उपस्थित न होने पर एक तरफा कार्यवाही की गई एवं दिनांक 10.03.2021 को प्रतिवादी नम्बर 02 व 03 ने वादीगण के दावा का विरोध करते हुए जबावदावा पेश किया व प्रतिवादी नम्बर 04 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण के दावा व प्रतिवादी नम्बर 02 व 03 के जबावदावा के आधार पर दिनांक 13.01.2022 को निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नम्बर –01 :– आया आराजी खसरा नम्बर 3381/0.33, 3406/0.28, 3407/0.16, 3940/0.11 किता–4 रकबा 0.88 हैक्टेयर वाके कस्बा कामां नं0 02 वादीगण के बाबा मेडू की कब्जेकाश्त की आराजी है। बाबा के स्वर्गवास होने पर उनके पिता नत्थी व हीरालाल काबिज काश्त रहे तथा उसके बाद वादीगण आराजी मुतदाविया के निस्फ हिस्सा पर कब्जा काश्त करते रहे। प्रतिवादीगण द्वारा पटवारी को झूठा शपथ पत्र पेश कर नामान्तरकरण नम्बर 4532 के द्वारा सालिम आराजी अपने नाम दर्ज करा लिया जिसे कलमजन कराकर वादीगण निस्फ हिस्से पर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। जिम्मे वादीगण।

तनकी नम्बर–02 :– आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं।

तनकी नम्बर–03 :– आया आराजी मुतदाविया पूर्व में मेडू के कब्जेकाश्त की आराजी थी उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता हीरालाल के मध्य मौखिक रूप से बंटवारा हुआ। पारिवारिक बंटवारा के आधार पर प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं कि वादीगण के पिता ने अपना 1/2 हिस्सा को एक मुश्त राशि लेकर हमेश–हमेशा को काश्त के लिए प्रतिवादीगण के पिता को दे दिया था इस कारण वादीगण का इस आराजी में कोई अधिकार नहीं है। दावा खारिज योग्य है।

तनकी नम्बर–04 :– दादरसी।

दिनांक 07.12.2022 को वादीगण की ओर से पीडव्ल्यू–01, पीडव्ल्यू–02, पीडव्ल्यू–03 के वयान दर्ज कराये तथा प्रतिवादीगण नम्बर 02 व 03 एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय में बार–बार आवाज लगाई जाने पर उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ दिनांक 07.12.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2063–66

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

प्रदर्श–पी–01, नकल दाखिल खारिज 4532 प्रदर्श–पी–02 पेश किये व मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0–01 रमेश चन्द, पी0डब्ल्यू0–02 प्रेमचन्द, पी0डब्ल्यू0–03 अनिल सैनी के वयान दर्ज कराये।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई जिन्होने बताया कि आराजी मुतदाविया हम वादीगण व प्रतिवादीगण के बाबा मेडू की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। मेडू के दो लडके नत्थीलाल व हीरालाल थे। नत्थीलाल के वारिसान वादीगण व हीरालाल के वारिसान प्रतिवादीगण हैं। बाबा मेडू का स्वर्गवास दिनांक 04.02.1973 को हो गया। पिता वादीगण नत्थीलाल व हीरालाल पिता प्रतिवादीगण का भी देहान्त हो गया परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मुतदाविया बाबा मेडू के नाम दर्ज होती रही। दिनांक 29.03.2012 को प्रतिवादी किशनलाल ने तहसीलदार कामां के यहां झूठा शपथ पत्र पेश करके वादीगण को छोडते हुए जरिये इन्तकाल नम्बर 4532 से विरासतन प्रतिवादीगण ने अकेले अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली। वादीगण को गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण ने अपने 1/2 हिस्सा के लिए दावा पेश किया जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2015 को वापक्ष वादीगण डिक्री किया गया जिसके खिलाफ प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भरतपुर के यहां अपील पेश की राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय ने दिनांक 18.05.2017 को प्रतिवादीगण की अपील को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को सुनने व पुनः निर्णय करने के लिए रिमाण्ड कर दिया। प्रतिवादी नम्बर 01 व 04 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और प्रतिवादी नम्बर 02 व 03 ने अपना जाबव दावा पेश किया। जबाव दावा की मद नम्बर 14 में वादीगण के दावा की मद नम्बर 05 में दर्ज सजरा को सही होना स्वीकार करते हैं। जिससे साबित है कि प्रतिवादीगण ने हम वादीगण को छोडते हुए विवादित आराजी मुतदाविया का दाखिल खारिज 4532 से अवैध व गैर कानूनी तरीके से विरासतन खातेदारी का इन्द्राज दर्ज करा लिया है जबकि जबाव दावा की मद नम्बर 14 में प्रतिवादीगण स्वीकार करते हैं कि आराजी मुतदाविया मेडू की थी और मेडू के पिता वादीगण नत्थीलाल व पिता प्रतिवादीगण हीरालाल वारिसान थे। जो कि मेडू के मरने के बाद वाहिस्सा बराबर काबिज हुए। नत्थीलाल व हीरालाल के गुजर जाने के बाद 1/2 हिस्सा पर वादीगण व 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसे साबित करने के लिए वादीगण ने गवाह रमेशचन्द व प्रेमचन्द, अनिल सैनी के वयान दर्ज कराये हैं जिन्होने वादीगण के दावा का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित है कि वादीगण के मेडू के लडके नत्थीलाल के वारिसान हैं जो आराजी मुतदाविया में 1/2 हिस्सा विरासतन खातेदारी पाने के अधिकारी हैं। इन्तकाल नम्बर 4532 से अकेले प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जा रही है उस दाखिल खारिज को अवैध व गैर कानूनी होने के आधार पर निरस्त कराकर आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण को आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य का गहन अवलोकन किया, नकल जमाबन्दी प्रदर्श पी0–01 संवत्–2063–66 के कॉलम नम्बर 04 में आरजी मुतदाविया मेडू पुत्र डालू के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण के दावा में दर्ज सजरा व प्रतिवादीगण के जबाव दावा के मद नम्बर 14 के अनुसार आराजी मुतदाविया वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति होना साबित होता है। नामान्तरकरण संख्या 4532 प्रदर्श पी–02 में मेडू का जो सजरा में अकेले हीरालाल को मेडू का एकमात्र पुत्र बताकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया है व दाखिल खारिज नम्बर 4532 प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जाबवदावा के कथनानुसार गलत दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

जाना साबित होता है। जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण अपने दावा को साबित करने में सफल रहे हैं। इसलिए वाद वादीगण काबिले स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 3381/0.33, 3406/0.28, 3407/0.16, 3940/0.11 किता–4 रकबा 0.88 हैक्टेयर वाके कस्बा कामां नं0 02 के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा से प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम इन्द्राज दर्ज किये जाने की इजाजत फरमाई जाती है। तदानुसार पर्चा डिकी बनाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे।

(दिनेश शर्मा)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ जिला डीग

निर्णय दिनांक 03.01.2025 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया है।

(दिनेश शर्मा)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ जिला डीग